

“महिला सशक्तिकरण से ग्रामीण महिलाओं की प्रस्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का समाजशास्त्रीय अध्ययन”

डॉ. रचना श्रीवास्तव

प्राध्यापक समाजशास्त्र शास. कन्या महाविद्यालय, रीवा

दृष्टि सिंह परिहार

शोधार्थी समाजशास्त्र, शास. टी. आर. एस. महाविद्यालय, रीवा

शोध सारांश

प्राचीन काल में माना गया कि “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” इस दृष्टि से प्राचीन भारत में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था परन्तु बाद में चलकर उनकी स्थिति में गिरावट आयी। अनेक प्रकार के विधि निषेधों से उन्हें बांधा गया और उनकी मानवीय गरिमा का क्षरण हुआ, सामान्य मानवीय अधिकारों एवं सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। उन्हें पराधीनता में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश होना पड़ा। मनुस्मृति में कहा गया है कि—स्त्री बचपन में पिता, युवावस्था पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहती है। ‘न स्त्री स्वतंत्रम् अर्हति’ अर्थात् स्त्री को स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। मध्य युग में तो स्त्रियों की स्थिति और भी निम्न हो गयी। उन्हें पैर की जूती और दासी समझा जाने लगा। परदा प्रथा, बालविवाह, विधवा विवाह निषेध तथा सतीप्रथा जैसी प्रथाएँ पैदा हुई जिससे स्त्रियों की स्थिति अत्यन्त चिंताजनक एवं दयनीय हो गई। विसंगतितो यहाँ तक दिखी कि महिलाएँ भी वर्णों में विभाजित हो गईं। कोई उच्चकुल की तो कोई निम्नकुल की, कोई अगड़े समाज की तो कोई पिछड़े समाज की यही वह दौर है जब जनजातीय वनवासी दर्जे में महिलाओं को चिह्नित और विभाजित किया गया है। इस प्रकार भारतीय महिलाओं सशक्तीकरण के लिए सामाजिक, आर्थिक प्रस्थिति में प्राचीनकाल से आजतक अनेक प्रकार के उतार-चढ़ाव आये हैं। इन्हीं बिन्दुओं को इस शोध पत्र में उल्लेख करने का प्रयास किया गया है।

संदर्भ स्रोत :-

- [1]. डी.एस. बघेल : सामाजिक संरचना प्रक्रियाएं एवं परिवर्तन पृष्ठ . 89
- [2]. जे.के. भट्टनागर : भारतीय समाज एवं संस्कृति, पृ. 56
- [3]. आर.एन. मुखर्जी : भारतीय सामाजिक संस्थाएं पृ. 73
- [4]. जी.के. अग्रवाल : समाजशास्त्र पृष्ठ 63
- [5]. जी.के. अग्रवाल : समाजशास्त्र पृष्ठ 64
- [6]. डी.एस. बघेल : समकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति पृष्ठ – 54

